क्रमांक 34/86/78-5 जी0 एस0-1

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभाग अध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डलों के उपायुक्त, सभी जिलों के उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा, हाईकोर्ट चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 18 मई, 1979.

विषय :—हरियाणा सरकार के 'ए' क्लास के कार्यालयों में लिपिक के पद को अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण द्वारा भरने के लिये शैक्षणिक योग्यतायें ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 5622-I-जी0एस-II-65/32342, दिनांक 22 सितम्बर, 1965 में हिदायतों की ओर आकर्षित करूं, जिन के अन्तर्गत 'ए' क्लास के कार्यालयों में लिपिक के रिक्त पदों को अधीनस्थ कार्यालयों में अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा के माध्यम से नियमित तौर पर नियुक्त किए हुए लिपिकों (जो कि केवल मैट्रिक पास हो तथा उन्हें 2 वर्ष का अनुभव हो) के स्थानान्तरण द्वारा नियमित तौर पर भरा जा सकता है । हरियाणा सरकार ने इस बारे में पुन: ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि 'ए' क्लास के कार्यालयों में लिपिक के रिक्त पदों को स्थानातरण द्वारा भरने के लिय उम्मीदवारों की वहीं योग्यताएं होंगी जो कि इन कार्यालयों में लिपिक के पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिये परिपत्र क्रमांक 4770-5/जी0एस0-I, 76/21278, दिनांक 13 अगस्त, 1976 द्वारा निर्धारित की हुई हैं। आप से यह अनुरोध किया जाता है कि 'ए' क्लास के कार्यालयों में लिपिक के पदों के स्थानान्तरण द्वार भरते समय सरकार के उपर्युक्त निर्णय को सम्मुख रख कर कार्यवाही की जाए तथा सभी 'ए' क्लास के कार्यालयों के विभागीय सेवा नियमों में सरकार के उपरोक्त निर्णय अनुसार संशोधन किया जाए ।

2. कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार को इन हिदायतों अनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए तथा इन की सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दृढ़ता से पालना की जाए ।

3. संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 5622-I जी0 एस0 II–65/32342, दिनांक 22 सितम्बर, 1965 में जारी की गई हिदायतों को अब इन हिदायतों द्वारा superseded—समझा जाए ।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति :—

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा, तथा
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार

को सुचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

हस्ता/-
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा,
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा : क्रमांक 34/86/78-5 जी0 एस0-I, दिनांक, चण्डीगढ़ 18 मई, 1969.

एक प्रति :—

1. प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, हरियाणा ; तथा
2. सचिव/निजी सचिव सभी मन्त्रीगण तथा मुख्य संसदीय सचिव, हरियाणा, को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

हस्ता/-
उप सचिव, समान्य प्रशासन
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री हरियाणा ।